रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 207] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 31, 1991/ज्येष्ठ 10, 1913
No. 207] NEW DELHI, FRIDAY, MAY 31, 1991/JYAISTHA 10, 1913

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मई, 1991

सा. का. नि. 293(अ):—केन्द्रीय सरकार, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 (1966 का 31) की धारा 87 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना की तारीख को दिल्ली संघ राज्यक्षेत्र में यथा प्रवृत्त दिल्ली अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा अधिनियम, 1986 (1986 का 56) का, निम्नलिखित उपांतरणों के अधीन रहते हुए, चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र पर विस्तार करती है, अर्थात्—

उपांतरण

1. दिल्ली अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा अधिनियम, 1986 में (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है), अभिव्यक्त रूप से जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय, "दिल्ली" और "मुख्य अग्नि शमन अधिकारी, दिल्ली" शब्दों के स्थान पर जहां जहां वे आते हैं, "चंडीगढ़" और "मुख्य अग्नि शमन अधिकारी, चंडीगढ़" शब्द रखे जाएंगे ।

2. उक्त अधिनियम की धारा 1 में,—

(i) उपधारा (2) में, "दिल्ली" शब्द के स्थान पर "चंडीगढ़" शब्द रखा जाएगा; और

(ii) उप-धारा (3) का लोप किया जाएगा ।

3. उक्त अधिनियम की धारा 2 में,—

(i) खंड (क) में, "दिल्ली" शब्द के स्थान पर "चंडीगढ़" शब्द रखा जाएगा;

(ii) खंड (ख) का लोप किया जाएगा;

(iii) खंड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:—

(घ) "भवन नियम" से अभिप्रेत है, पंजाब राजधानी (विकास और विनियमन) भवन नियम, 1952 या पंजाब राजधानी (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1952 (1952 का पंजाब अधिनियम सं. 27) की धारा 22 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाए गए कोई अन्य नियम ;

(4) खंड (ङ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:—

(ङ) "मुख्य अग्नि शमन अधिकारी" से मुख्य प्रशासक द्वारा नियुक्त मुख्य अग्नि शमन अधिकारी अभिप्रेत है",

(5) खंड (च) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:—

(च) "चंडीगढ़" से चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र अभिप्रेत है" ;

(6) खंड (छ) में "भवन उप-विधि" शब्दों के स्थान पर "भवन नियम" शब्द रखे जाएंगे ;

(7) खंड (ज) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:—

(ज) "मुख्य प्रशासक" से अभिप्रेत है, केन्द्रीय सरकार द्वारा, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, पंजाब राजधानी (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1952 के अधीन मुख्य प्रशासक के कृत्यों का पालन करने के लिए इस रूप में नियुक्त अधिकारी;

(8) खंड (ञ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:—

(ञ) "नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी" से मुख्य अग्नि शमन अधिकारी द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए नामनिर्दिष्ट कोई अधिकारी अभिप्रेत है जो अग्नि शमन अधिकारी से निम्न रैंक का नहीं है; और

(9) खंड (ट) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:—

(ट) "स्वामी" के अन्तर्गत ऐसा व्यक्ति भी है जो तत्समय किसी भूमि या भवन का भाटक चाहे अपने ही निमित्त या अपने और अन्य के निमित्त या किसी अन्य व्यक्ति के लिए अभिकर्ता, न्यासी, संरक्षक या रिसीवर के रूप में प्राप्त कर रहा है या प्राप्त करने का हकदार है या जो, भूमि या भवन या उसका भाग किसी अधिकारी को पट्टे पर दिए जाने की दशा में, इस प्रकार भाटक प्राप्त करेगा या प्राप्त करने का हकदार होगा और इसके अन्तर्गत अपने नियंत्रणाधीन संपत्ति के संबंध में भारत सरकार का संपदा निदेशक, अध्यक्ष, आवास बोर्ड, चंडीगढ़ और कार्यपालक इंजीनियर और वास्तुविद, चंडीगढ़ प्रशासन भी हैं ।

4. उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (i) में, "भवन उप-विधि" शब्दों के स्थान पर "भवन नियम" शब्द रखे जाएंगे ।

5. उक्त अधिनियम की धारा 6 में,

(i) "6 जून, 1983 (जो वह तारीख है जिसको विद्यमान उपविधियां प्रवृत्त हुई थीं)" अंक शब्द और कोष्ठकों के स्थान पर "दिल्ली अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा अधिनियम, 1986 के चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र पर विस्तार की तारीख" शब्द और अंक रखे जाएंगे ;

(ii) उपधारा (3) में,—

(क) खंड (i) में, "भवन उप-विधियों" शब्दों के स्थान पर "भवन नियमों" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) खंड (ii) में, "स्थानीय प्राधिकरण" शब्दों के स्थान पर "मुख्य प्रशासक" शब्द रखे जाएंगे ।

6. उक्त अधिनियम की धारा 8 में,—

(i) "अपील अधिकरण" शब्दों के स्थान पर जहां जहां वे आते हैं, "गृह सचिव, चंडीगढ़ प्रशासन" शब्द रखे जाएंगे ,

(ii) उप-धारा (4) का लोप किया जाएगा ।

7. उक्त अधिनियम की धारा 17 में,—

"महानगर मजिस्ट्रेट" शब्दों के स्थान पर "प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट" शब्द रखे जाएंगे ।

उपाबंध

दिल्ली अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा अधिनियम, 1986 (1986 का 56), चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र पर विस्तारित रूप में

दिल्ली संघ राज्यक्षेत्र में कतिपय भवनों और परिसरों में अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा उपायों के लिए और अधिक प्रभावी उपबंध करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के सैंतीसवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ-(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम दिल्ली अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा अधिनियम, 1986 है ।

2. इसका विस्तार संम्पूर्ण चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र पर है ।

2. परिभाषाएं—इस अधिनियम, में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "प्रशासक" से राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन नियुक्त चंडीगढ़ का प्रशासक अभिप्रेत है ;

(ख) लोप किया गया ।

(ग) "भवन" से अभिप्रेत है कोई गृह, उपगृह, अस्तबल, शौचालय मूत्रालय, शेड, झोपड़ी, दीवाल, (सीमा दीवाल से भिन्न) या कोई अन्य संरचना चाहे वह पत्थर की हो, ईंटों की हो, लकड़ी की हो, मिट्टी की हो, धातु की हो, या किसी अन्य पदार्थ की हो;

(घ) "भवन नियम" से पंजाब राजधानी (विकास और विनियमन) भवन नियम, 1952 या पंजाब राजधानी (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1952 (1952 का पंजाब अधिनियम सं. 27) की धारा 22 के अधीन बनाए गए अन्य नियम अभिप्रेत है;

(ङ) "मुख्य अग्निशमन अधिकारी" से मुख्य प्रशासक द्वारा इस रूप में नियुक्त मुख्य अग्नि शमन अधिकारी अभिप्रेत है;

(च) चंडीगढ़ से चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र अभिप्रेत है;

(छ) "अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा उपाय" से ऐसे उपाय अभिप्रेत है जो भवन नियमों के अनुसार अग्नि के निवारण, नियंत्रण और शमन के लिए तथा आग लग जाने की दशा में जीवन और संपति की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है;

(ज) "मुख्य प्रशासक" से अभिप्रेत है, केन्द्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा पंजाब राजधानी (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1952 के अधीन मुख्य प्रशासक के कृत्यों का पालन करने के लिए इस रूप में नियुक्त अधिकारी;

(झ) "नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी" से मुख्य अग्नि शमन अधिकारी द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए नामनिर्दिष्ट कोई अधिकारी अभिप्रेत है जो अग्नि शमन अधिकारी से निम्न रैंक का नहीं है;

(ञ) "अधिभोगी" के अन्तर्गत है—

(i) ऐसा कोई व्यक्ति जो स्वामी को उस समय उस भूमि या भवन के भाटक का या भाटक के किसी भाग का संदाय कर रहा है या करने का जिम्मेदार है जिसकी बाबत ऐसा भाटक संदत्त किया जाता है या संदेय है;

(ii) वह स्वामी जो अपनी भूमि या भवन का अधिभोग या अन्यथा उपयोग कर रहा है;

(iii) किसी भूमि या भवन का भाटकमुक्त अधिकारी;

(iv) किसी भूमि या भवन का अधिभोग करने वाला अनुज्ञप्तिधारी; और

(v) ऐसा कोई व्यक्ति जो किसी भूमि या भवन के उपयोग और अधिभोग के लिए उसके स्वामी को नुकसानी देने का जिम्मेदार है;

(ट) "स्वामी" के अंतर्गत ऐसा व्यक्ति भी है जो तत्समय किसी भूमि या भवन का भाटक चाहे अपने ही निमित्त या अपने और अन्य के निमित्त या किसी अन्य व्यक्ति के लिए अभिकर्ता, न्यासी, संरक्षक या रिसीवर के रूप में प्राप्त कर रहा है या प्राप्त करने का हकदार है या जो, भूमि या भवन या उसका भाग किसी अभिधारी को पट्टे पर दिए जाने की दशा में, इस प्रकार भाटक प्राप्त करेगा या प्राप्त करने का, हकदार होगा, और इसके अन्तर्गत अपने नियंत्रणाधीन संपत्ति के संबंध में भारत सरकार का संपदा निदेशक, अध्यक्ष, आवास बोर्ड, चंडीगढ़, कार्यपालक इंजीनियर और वास्तुविद चंडीगढ़ प्रशासन भी है;

(ठ) "परिसर" से कोई भूमि या कोई भवन या उससे अनुलग्न भवन का कोई भाग अभिप्रेत है जो विस्फोटकों, विस्फोटक पदार्थों और खतरनाक रूप से ज्वलनशील पदार्थों के भण्डारकरण के लिए उपयोग में लाया जाता है ।

स्पष्टीकरण—इस खंड में "विस्फोटक", "विस्फोटक पदार्थ" और "खतरनाक रूप से ज्वलनशील पदार्थ" के वही अर्थ है जो विस्फोटक अधिनियम, 1884 (1884 का 4), विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 (1908 का 6) और ज्वलनशील पदार्थ अधिनियम, 1952 (1952 का 20) में है ।

3. भवनों, परिसरों आदि का निरीक्षण-(1) नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी किसी भवन के, जिसकी ऊंचाई उतनी है जो इस

अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, परिसर के अधिभोगी को या यदि कोई अधिभोगी नहीं है तो उसके स्वामी को तीन घन्टे की सूचना देने के पश्चात् सूर्योदय और सूर्योस्त के बीच किसी भी समय उक्त भवन या परिसर में प्रवेश कर सकेगा और उसका निरीक्षण कर सकेगा जहां ऐसा निरीक्षण अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा उपायों की पर्याप्तता या उल्लंघन अभिनिश्चित करने के लिए आवश्यक प्रतीत होता है :

परन्तु नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी किसी भवन या परिसर में किसी भी समय प्रवेश कर सकेगा और उसका निरीक्षण कर सकेगा यदि उस संपत्ति और जीवन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ऐसा करना समीचीन और आवश्यक प्रतीत होता है ।

(2) नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी को उपधारा (1) के अधीन निरीक्षण करने के लिए भवन या परिसर के, यथास्थिति, स्वामी या अधिभोगी द्वारा सभी संभव सहायता उपलब्ध कराई जाएगी ।

(3) जब मानव निवास के रूप में प्रयुक्त किसी भवन या परिसर में उपधारा (1) के अधीन प्रवेश किया जाता है तब अधिभोगियों की सामाजिक और धार्मिक भावनाओं का सम्यक् ध्यान रखा जाएगा; और किसी महिला के, जो रूढ़ि के अनुसार लोक के समक्ष नहीं आती है, वास्तविक अधिभोगाधीन किसी अपार्टमेंट में उपधारा (1) के अधीन प्रवेश करने के पूर्व, उसकी यह सूचना दी जाएगी कि वह वहां से हट जाने के लिए स्वतंत्र है, और उसे वहां से हटने के लिए हर उचित सुविधा प्रदान की जाएगी ।

4. अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा के लिए उपाय—(1) नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी, धारा 3 के अधीन भवन या परिसर का निरीक्षण पूरा करने के पश्चात्, अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा उपायों की बाबत भवन नियमों से विचलन या उसके उल्लंघनों पर तथा भवन की ऊंचाई के प्रति निर्देश से, उसमें व्यवस्थित ऐसे उपायों की अपर्याप्तता या ऐसे भवन या परिसर में की जा रही संक्रियाओं की प्रकृति की बाबत, अपने विचार लेखबद्ध करेगा, और ऐसे भवन या परिसर के स्वामी या अधिभोगी की यह निदेश देते हुए एक सूचना जारी करेगा कि वह ऐसे उपाय करे जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

(2) नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी धारा 3 के अधीन अपने द्वारा किए गए किसी निरीक्षण की रिपोर्ट मुख्य अग्नि शमन अधिकारी को भी देगा

5. भवनों या परिसरों को सीलबंद करने की शक्ति—(1) जहां धारा 4 की उपधारा (2) के अधीन नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी से रिपोर्ट प्राप्त होने पर मुख्य अग्नि शमन अधिकारी को यह प्रतीत होता है कि किसी भवन या परिसर की दशा जीवन या सम्पत्ति के लिए खतरनाक है वहां वह, धारा 7 के अधीन की जाने वाली किसी कार्यवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे भवन या परिसर का कब्जा रखने वाले या अधिभोग करने वाले व्यक्तियों से अपेक्षा कर सकेगा कि वे ऐसे भवन या परिसर से तुरंत हट जाएं।

(2) यदि उपधारा (1) के अधीन मुख्य अग्नि शमन अधिकारी द्वारा किए गए आदेश का अनुपालन नहीं किया जाता है तो मुख्य अग्नि शमन अधिकारी उस क्षेत्र में अधिकारिता रखने वाले किसी पुलिस अधिकारी को ऐसे व्यक्तियों को उस भवन या परिसर से हटाने के लिए निदेश दे सकेगा और ऐसा अधिकारी ऐसे निदेशों का पालन करेगा।

(3) व्यक्तियों के, यथास्थिति, उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन हटाए जाने के पश्चात् मुख्य अग्नि शमन अधिकारी भवन या परिसर को सील बंद करेगा।

(4) कोई भी व्यक्ति ऐसी सील मुख्य अग्नि शमन अधिकारी द्वारा किए गए आदेश के अधीन ही हटा सकेगा अन्यथा नहीं।

6. कुछ भवनों और परिसरों की बाबत उपबन्ध—(1) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, मुख्य अग्नि शमन अधिकारी किसी ऐसे भवन में, जिसका निर्माण दिल्ली अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा अधिनियम, 1986 के चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र पर विस्तार की तारीख को या उसके पूर्व पूरा हुआ था या किसी भवन में जो ऐसी तारीख को निर्माणाधीन था, प्रवेश कर सकेगा और उसका निरीक्षण कर सकेगा यदि ऐसा निरीक्षक ऐसे भवन में अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा उपायों की पर्याप्तता को अभिनिश्चित करने के लिए आवश्यक प्रतीत होता है।

(2) उपधारा (1) के अधीन प्रवेश और निरीक्षण मुख्य अग्नि शमन अधिकारी द्वारा धारा 3 में अधिकथित रीति से किया जाएगा।

(3) मुख्य अग्नि शमन अधिकारी भवन या परिसर का उपधारा (1) के अधीन निरीक्षण करने के पश्चात्, और :—

(i) भवन उपनियमों के, जिनके अनुसार उक्त भवन या परिसर का नक्शा मंजूर किया गया है, उपबंधों को;

(ii) उक्त भवन या परिसर के नक्शे की मंजूरी के समय मुख्य प्रशासक द्वारा अधिरोपित शर्तों को, यदि कोई है; और

(iii) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अधीन ऐसे भवन या परिसर के लिए विनिर्दिष्ट अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा उपायों के लिए न्यूनतम स्तरों को, ध्यान में रखते हुए ऐसे भवन या परिसर के स्वामी या अधिभोग की एक सूचना जारी करेगा जिसमें अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा उपायों की अपर्याप्तता का कथन होगा और स्वामी या अधिभोगी को ऐसी अवधि के भीतर

जो मुख्य अग्नि शमन अधिकारी न्यायसंगत और युक्तियुक्त समझे, उक्त अपर्याप्तता का सुधार करने के लिए उपाय करने के लिए निदेश देगा।

7. व्यतिक्रम की दशा में मुख्य अग्नि शमन अधिकारी की शक्तियां :—(1) मुख्य अग्नि शमन अधिकारी, धारा 4 या धारा 6 के अधीन जारी की गई किसी सूचना के अनुपालन की दशा में, ऐसी कार्यवाही करेगा जो ऐसी सूचना के अनुपालन के लिए आवश्यक हो।

(2) मुख्य अग्नि शमन अधिकारी द्वारा उपधारा (1) के अधीन किसी कार्यवाही के संबंध में उपगत सभी व्यय, मांग पर, स्वामी या अधिभोगी द्वारा देय होंगे और यदि ऐसी मांग के पश्चात् इस दिन के भीतर उनका संदाय नहीं किया जाता है तो वह भू-राजस्व की बकाया के रूप में वसूलीय होंगे।

8. अपीलें—(1) नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी या मुख्य अग्नि शमन अधिकारी की सूचना या आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति गृह सचिव चंडीगढ़ प्रशासन को ऐसी सूचना या आदेश के विरुद्ध, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, सूचना या आदेश की तारीख से तीस दिन के भीतर अपील कर सकेगा :

परन्तु गृह सचिव चंडीगढ़ प्रशासन यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि उस अवधि के भीतर अपील फाइल न करने के लिए पर्याप्त कारण था तो अपील को उक्त तीस दिन की अवधि के अवसान के पश्चात् ग्रहण कर सकेगा।

(2) इस अधिनियम के अधीन जारी की गई सूचना या किए गए आदेश को पुष्ट करने, परिवर्तित करने, निष्प्रभाव करने वाले गृह सचिव, चंडीगढ़ प्रशासन के किसी आदेश के विरुद्ध अपील, ऐसे आदेश की तारीख से तीस दिन के भीतर, प्रशासक की होगी।

परन्तु प्रशासक, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि उस अवधि के भीतर अपील फाइल न करने के लिए पर्याप्त कारण था तो, अपील को उक्त तीस दिन की अवधि के अवसान के पश्चात् ग्रहण कर सकेगा।

(3) गृह सचिव चंडीगढ़ प्रशासन का प्रशासक को अपील ऐसे प्ररूप में की जाएगी तथा उसके साथ उस सूचना या आदेश की, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, एक प्रति संलग्न होगी, तथा ऐसी फीस भी होगी जो इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए।

9. न्यायालयों की अधिकारिता का वर्जन—कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी सूचना या आदेश की बाबत कोई वाद, आवेदन या अन्य कार्यवाही ग्रहण नहीं करेगा और ऐसी कोई सूचना या आदेश इस अधिनियम के अधीन अपील करके ही प्रश्नगत किया जा सकेगा, अन्यथा नहीं।

10. शास्तियां—जो कोई इस अधिनियम के किसी उपबंध का उल्लंघन करेगा वह, धारा 7 के अधीन अपने विरुद्ध किसी कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पचास हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, और जहां अपराध चालू रहता है वहां अतिरिक्त जुर्माने से, जो प्रथम दिन के पश्चात् प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान अपराध चालू रहता है तीन हजार रुपए तक का हो सकेगा दंडनीय होगा।

11. कंपनियों द्वारा अपराध—(1) जहां इस अधिनियम के अधीन अपराध किसी कंपनी द्वारा किया जाता है वहां प्रत्येक व्यक्ति जो उस समय, जब अपराध किया गया था, उस कंपनी के कारोबार के संचालन के लिए उस कंपनी का भारसाधक और उसके प्रति उत्तरदायी था और साथ ही वह कंपनी भी ऐसे अपराध के दोषी समझे जाएंगे और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने के भागी होंगे :

परन्तु इस उपधारा की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को दंड का भागी नहीं बनाएगी यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध का निवारण करने के लिए सम्यक् तत्परता बरती थी।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि वह अपराध कंपनी के किसी निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है या उस अपराध का किया जाना उसकी किसी अपेक्षा के कारण माना जा सकता है, वहां ऐसा निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने का भागी होगा।

स्पष्टीकरण इस धारा के प्रयोजनों के लिए—

(क) "कंपनी" से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत कोई फर्म या व्यष्टियों का अन्य संगम भी है; तथा

(ख) फर्म के संबंध में "निदेशक" से उस फर्म का भागीदार अभिप्रेत है।

12. अभियोजन की मंजूरी—कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के विचारण में नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा की गई अपराध की शिकायत पर या उससे प्राप्त जानकारी पर ही अग्रसर होगा, अन्यथा नहीं।

13. अधिकारिता—प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट से अवर कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा।

14. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण--कोई भी वाद या अन्य विधिक कार्यवाही किसी भी ऐसी बात के बारे में जो इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन सद्भावपूर्वक की गई हो या की जाने के लिए आशयित हो किसी व्यक्ति के विरुद्ध नहीं होगी ।

15. अधिकारी का लोक सेवक होना--इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन कार्य करने वाला प्रत्येक अधिकारी भारतीय दंडसंहिता (1860 का 45) की धारा 21 के अर्थ के भीतर लोक सेवक समझा जाएगा।

16. नियम बनाने की शक्ति--(1) प्रशासक इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, बना सकेगा । (2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित के लिए उपबंध किए जा सकेंगे :—

(क) धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भवन की ऊंचाई;

(ख) धारा 6 की उपधारा (3) के खंड (iii) के प्रयोजनों के लिए अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा उपायों के लिए न्यूनतम मानक;

(ग) धारा 8 की उपधारा (3) के अधीन वह प्ररूप जिसमें अपील की जाएगी और वह फीस जो अपील के साथ दी जाएगी ,

(घ) कोई अन्य विषय जो नियमों द्वारा उपबंधित किया जाना अपेक्षित है या किया जा सकेगा।

(3) केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के अधीन बनाए गए प्रत्येक नियम को उसके बनाए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखवाएगी। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा : किंतु, नियम के ऐसे प्रवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

[सं. यू 11015/4/89-यू.टी.एल.]
एस. दत्त, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st May, 1991

G.S.R. 293(E).—In exercise of the powers conferred by section 87 of the Punjab Reorganisation Act, 1966 (31 of 1966), the Central Government hereby extends to the Union territory of Chandigarh, the Delhi Fire Prevention and Fire Safety Act, 1986 (56 of 1986), as inforce in the Union territory of Delhi at the date of this notification subject to the following modifications, namely :—

MODIFICATIONS

1. In the Delhi Fire Prevention and Fire Safety Act, 1986 (hereinafter referred to as the said Act), except as otherwise expressly povided for the word, "Delhi", the word "Chandigarh" and for the words "Chief Fire Officer, Delhi", the words "Chief Fire Officer, Chandigarh" shall be substituted, wherever they occur.

2. In section 1 of the said Act,--

(i) in sub-section (2) for the word "Delhi", the word "Chandigarh" shall be substituted; and

(ii) sub-section (3) shall be omitted.

3. In section 2 of the said Act,—

(i) in clause (a), for the word "Delhi", the word "Chandigarh" shall be substituted;

(ii) clause (b) shall be omitted;

(iii) for clause (d), the following clause shall be substituted, namely :—

'(d) "building rules" means the Punjab Capital (Development and Regulation) Building Rules, 1952 or any other rules made in exercise of the powers conferred under section 22 of the Capital of Punjab (Development and Regulation) Act 1952 (Punjab Act No. 27 of 1952);'

(iv) for clause (e), the following clause shall be substituted, namely :—

'(e) "Chief Fire Officer" means the Chief Fire Officer appointed by the Chief Administrator';

(v) for clause (f) the following clause shall be substituted, namely :—

'(f) "Chandigarh" means the Union territory of Chandigarh;';

(vi) in clause (g) for the words "building bye-laws", the words "building rules" shall be substituted;

(vii) for clause (h) the following clause shall be substituted, namely :—

'(h) "Chief Administrator" means an Officer appointed as such by the Central Government by notification in the Official Gazette.'

to perform the functions of the Chief Administrator under the Capital of Punjab (Development and Regulation) Act, 1952;

(viii) for clause (i) the following clause shall be substituted, namely :—

'(i) "nominated authority" means an officer not below the rank of a Station Officer nominated by the Chief Fire Officer for the purpose of this Act;'; and

(ix) for clause (k), the following clause shall be substituted, namely :—

'(k) "owner" includes a person who for the time being is receiving or is entitled to receive the rent of any land or building whether on his own account or on account of himself and others or as an agent, trustee, guardian or receiver or any other person or who should so receive the rent or be entitled to receive it if the land or building or part thereof were let to a tenant and also includes the Director of Estates of Government of India, the Chairman Housing Board, Chandigarh, Executive Engineer and Architect, Chandigarh Administration in respect of properties under their respective control;

4. In section 4 of the said Act, in sub-section (1), for the words "building bye-laws", the words "building rules" shall be substituted.

5. In section 6 of the said Act,—

(i) in sub-section (1), for the words, breackets and figures, "the 6th day of June, 1983 (being the date on which the current building bye-laws had come into force)", the words and figures "extension of the Delhi Fire Prevention and Fire Safety Act, 1986 to the Union territory of Chandigarh" shall be substituted;

(ii) in sub-section (3),

(a) in clause (i), for the words "building bye-laws", the words "building rules" shall be substituted;

(b) in clause (ii), for the words "local authority", the words "Chief Administrator" shall be substituted.

6. In section 8 of the said Act,—

(i) for the words "Appellate Tribunal", wherever they occur, the words "Home Secretary, Chandigarh Administration" shall be substituted;

(ii) sub-section (4) shall be omitted.

7. In section 13 of the said Act,— For the words "Metropolitan Magistrate", the words "Magistrate of the first class" shall be subtituted.

ANNEXURE

THE DELHI FIRE PREVENTION AND FIRE SAFETY ACT, 1986 (56 of 1986) AS EXTENDED TO THE UNION TERRITORY OF CHANDIGARH

An Act to make more effective provision for the fire prevention and five safety measures in certain buildings and premises in the Union territory of Delhi.

Be it enacted by Parliament in the Thirty-seventh Year of the Republic of India as follows :—

1. Short title, extent and commencement.—(1) This Act may be called the Delhi Fire Prevention and Fire Safety Act, 1986.

2. It extends to the whole of the Union territory of Chandigarh.

2. Definitions.—In this Act, unless the context otherwise requires,—

(a) "Administrator" means the Administrator of Chandigarh appointed by the President under article 239 of the Constitution;

(b) Omitted;

(c) "building" means a house, outhouse, stable, latrine, urinal, shed, hut, wall (other than a boundary wall) or any other structure, whether of masonry, bricks, wood, mud, metal or other material;

(d) "building rules" means the Punjab Capital (Development and Regulation) Building Rules, 1952 or any other rules made in exercise of the powers conferred under section 22 of the Capital of Punjab (Development and Regulation) Act, 1952 (Punjab Act No. 27 of 1952);

(e) "Chief Fire Officer" means the Chief Fire Officer appointed as such by the Chief Administrator;

(f) "Chandigarh" means the Union territory of Chandigarh;

(g) "fire prevention and fire safety measures" means such measures as are necessary in accordance with the building rules for the prevention, control and fighting of fire and for ensuring the safety of life and property in case of fire;

(h) "Chief Administrator" means an officer appointed as such by the Central Government by notification in the official Gazette, to perform the functions of the Chief Administrator under the Capital of Punjab (Development and Regulation) Act, 1952;"

(i) "nominated authority" means an officer not below the rank of a Station Officer nominated by the Chief Fire Officer for the purposes of this Act;

(j) "occupier" includes—

(i) any person who for the time being is paying or is liable to pay to the owner the rent or any portion of the rent of the

land or building in respect of which such rent is paid or is payable;

(ii) an owner in occupation of, or otherwise using his land or building;

(iii) a rent-free tenant of any land or building; and

(iv) a licensee in occupation of any land or building; and

(v) any person who is liable to pay to the owner damages for the use and occupation of any land or building;

(k) "owner" includes a person who for the time being is receiving or is entitled to receive the rent of any land or building whether on his own account or on account of himself and others or as an agent, trustee, guardian or receiver or any other person or who should so receive the rent or be entitled to receive it if the land or building or part thereof were let to a tenant and also includes the Director of Estates of Government of India, the Chairman Housing Board, Chandigarh, Executive Engineer, and Architect, Chandigarh Administration in respect of properties under their respective control; and

(l) "premises" means any land or any building or part of a buliding appurtenant thereto which is used for storing explosives, explosive substances and dangerously inflammable subtances

Explanation.—In this clause, "explosive", "explosive substances and dangerously inflammable stances" shall have the meanings, repectively assigned to them in the Explosives Act, 1984, the Explosive Substances Act, 1908 and the Inflammable Substances Act, 1952.

3. Inspection of buildings, premises, etc.—(1) The nominated authority may, after giving three hours notice to the occupier or, if there be no occupier, to the owner of any building having such height as may be specified by rules framed under this Act, or premises enter and inspect the said building or premises at any time between sunrise and sunset where such inspection appears necessary for ascertaining the adequacy or contravention of fire prevention and fire safety measures :

Privided that the nominated authority may enter into and inspect any building or premises at any time if it appears to it to be expedient and necessary to do so in order to ensure safety of life property.

(2) The nominated authority shall be provided with all possible assistance by the owner or occupied as the case may be, of the building or premises for carrying out the inspection under sub-section (1).

(3) When any building or premises used as a human dwelling is entered under sub-section (1), due regard shall be paid to the social and religious sentiments of the occupiers; and, before any apartment in the actual occupancy of any women who, according to the custom does not appear in public, is entered under sub-section (1), notice shall be given to her that she is at liberty to withdraw and every reasonable facility shall be afforded to her for withdrawing.

4. Measures for fire prevention and fire safety.—(1) The nominated authority shall, after the completion of the inspection of the building or premises under section 3 record its views on the deviations from or the contravention of, the building rules with regard to the fire prevention and fire safety measures and the inadequacy of such measures provided therein with reference to the height of the building or the nature of activities carried on in such building or premises and issue a notice to the owner or occupier of such building or premises directing him to undertake such measures as may be specified in the notice.

(2) The nominated authority shall also give a report of any inspection made by it under section 3 to the Chief Fire Officer.

5. Power to seal buildings or premises.—(1) Where, on receipt of a report from the nominated authority under sub-section (2) of section 4, it appears to the Chief Fire Officer that the condition of any building or premises is dangerous to life or property, he shall, without prejudice to any action taken under section 7, by order, require the persons in possession or occupation of such building or premises to remove themselves from such building or premises forthwith.

(2) If an order made by the Chief Fire Officer under sub-seition (1) is not complied with, the Chief Fire Officer may direct any police officer having jurisdiction in the area to remove such persons from the building or premises and such officer shall comply with such directions.

(3) After the removal of the persons under sub-section (1) or sub-section (2), as the case may be, the Chief Fire Officer shall seal the building or premises.

(4) No person shall remove such seal except under an order made by the Chief Fire Officer.

6. Provision regarding certain buildings and Premises.—(1) Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, the Chief Fire Officer may enter and inspect any building, the construction of which was completed on or before the extension of the Delhi Fire Prevention and Fire Safety Act, 1986 to the Union territory of Chandigarh or any building which was under construction on such date, if such inspection appears necessary for ascertaining the adequacy of fire prevention and fire safety measures in such building.

(2) The entry and inspection under sub-section (1) shall be done by the Chief Fire Officer in the manner laid down in section C.

(3) The Chief Fire Officer shall, after inspection of the building or premises under sub-section (1), and after taking into consideration—

(i) the provisions of the building rules in accordance with which the plan of the said building or premises was sanctioned;

(ii) the conditions imposed, if any, by the Chief Administrator at the time of the sanction of the plan of the said building or premises; and

(iii) the minimum standards for fire prevention and fire safety measures specified for such building or premises as may be specified by rules framed under this Act, issue a notice to the owner or occupier of such building or premises stating therein the inadequacy in regard to the fire prevention and fire safety measures in it and direct the owner or occupier to undertake measures for rectifying the said inadequacy within such period as he may consider just and reasonable.

7. Default powers of the Chief Fire Officer.—(1) The Chief Fire Officer shall, in the event of non-compliance of any notice issued under section 4 or section 6, take such steps as may be necessary for the compliance of such notice.

(2) All expenses incurred by the Chief Fire Officer in relation to any steps taken by him under sub-section (1) shall be payable by the owner or occupier on demand and shall, if not paid within ten days after such demand, be recoverable as arrears of land revenue.

8. Appeals.—(1) Any person aggrieved by any notice or order of the nominated authority or the Chief Fire Officer may prefer an appeal against such notice or order to the Home Secretary, Chandigarh Administration within thirty days from the date of the notice or order appealed against :

Provided that the Home Secretary, Chandigarh Administration may entertain an appeal after the expiry of the said period of thirty days if it is satisfied that there was sufficient cause for not filing it within that period.

(2) An appeal shall lie to the Administrator against the order of the Home Secretary, Chandigarh Administration confirming modifying or annulling a notice or an order issued or made under this Act within thirty days from the date of the order of the Home Secretary, Chandigarh Administration :

Provided that the Administrator may entertain an appeal after the expiry of the said period of thirty days if he is satisfied that there was sufficient cause for not filing it within that period.

(3) An appeal to the Home Secretary, Chandigarh Administration shall be made in such form and shall be accompanied by a copy of the notice or order appealed against and by such fees as may be specified by rules framed under this Act.

(4) Omitted.

9. Bar of jurisdiction of courts.—No court shall entertain any suit, application or other proceeding in respect of any notice or order under this Act and no such notice on order shall be called in question otherwise than by preferring an appeal under this Act.

10. Penalties.—Whoever contravenes any provision of this Act shall, without prejudice to any other action taken against him under section 7, be punishable with imprisonment for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to fifty thousand rupees, or with both and where the offence is a continuing one with a further fine which to three thousand rupees for every day after the first during which such offence continue.

11. Offiences by companies.—(1) Where an offence under this Act has been committed by a company, every person who, at the time the offence was committed, was in charge of, and was responsible to, the company for the conduct of the business of the company, as well as the company, shall be deemed to be guilty of the offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly :

Provided that nothing contained in this sub-section shall render any such person liable to any punishment if he proves that the offence was committed without his knowledge or that he had exercised all due diligence to prevent the commission of such offence.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), where any offence under this Act has been committed by a company and it is proved that the offence has been committed with the consent or connivance of, or is attributable to any neglect on the part of, any director, manager, secretary or other officer of the company, such director, manager, secretary or other officer shall also be deemed to be guilty of that offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly.

Explanation.—For the purposes of this section,—

(a) "company" means a body corporate and includes a firm or other association of individuals; and

(b) "director", in relation to that of a firm, means a partner in the firm.

12. Sanction of prosecution.—No court shall proceed to the trial of an offence under this Act, except on the complaint of, or upon information received from, the nominated authority.

13. Jurisdiction.—No court inferior to a Magistrate of the first class shall try an offence punishable under this Act.

14. Protection of action taken in good faith.—No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against any person for anything which is in good faith done or intended to be done under this Act or any rules made thereunder.

15. Officer to be public servant.—Every officer acting under the provisions of this Act shall be deemed to be a public servant within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code.

16. Power to make rules.—(1) The Administrator may, by notification in the Official Gazette, made rules for carrying out the provisions of this Act.

(2) In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for :—

(a) the height of the building under sub-section of

(b) the minimum standards for fire prevention and fire safety measures for the purposes of clause (iii) of sub-section (3) of section 6;

(c) the form in which an appeal shall be made and the fees that shall accompany such appeal under sub-section (3) of section 8;

(d) any other matter which is required to be, or may be, provided by rules.

(3) The Central Government shall cause every rules made under this Act to be laid, as soon as may be after it is made, before each House of Parliament, while it is in session, for a total period of thirty days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions., and if, before the expiry of the session immediately following the session or the successive 'sessions aforesaid both House agree in making any modification in the rule or both Houses agree that the rule should not be made, the rule shall thereafter have effect only in such modified, form or be of no effect, as the case may be; so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule.

[No. U-11015|4|89-UTL]

S. DUTTA, Jt. Secy.

IndiaCode

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1991